P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-2* (Part-1) October- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

आधुनिकीकरण एवं जनजातीय नारी (कितनी सशक्त, कितनी शोषित) शिक्षित महिलाओं के विशेष सदंर्भ में

सुनीता मीना
व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर

सारांश

आधुनिकीकरण की अवधारणा आज विश्व में सर्वप्रचलित अवधारणा है। विश्व का ऐसा कोई समाज नहीं जिसके निर्माता उसे आधुनिक बनाने का प्रयास न कर रहे हो इसलिए आधुनिकीकरण की अवधारणा आज लोकप्रिय अवधारणा है। लेकिन यह कोई नवीन अवधारणा नहीं है। बल्कि यह तो सामाजिक परिवर्तन की पुरानी प्रक्रियाओं के लिये एक नवीन शब्द है।

मुख्य शब्द : जनजातीय नारी, शिक्षित महिला

प्रस्तावना

भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की स्थापना मूलतः ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में परम्परागत स्वरूपों में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आये परिवर्तनो तथा इन परिवर्तनो से भारतीय समाज के नवीन मूल्यो की स्थापना से मापा जा सकता है। आधुनिकीकरण का सम्प्रत्यय प्रायः सामाजिक परिवर्तन से सम्बंधित है। विविध अर्थों में इसका प्रयोग सामाजिक विज्ञानों में किया जाता है। सामाजिक वैज्ञानिकों के मतानुसार जब कम विकसित समाज अधिक विकसित समाजों की सामाजिक, आर्थिक, विशेषताओं को अपनाते हैं। तो वे अपना आधुनिकीकरण करते है। कुछ समाजशास्त्रीयो के अनुसार यह मूल्यों के सम्बन्धित प्रक्रिया है। क्योंकि यह अवधारणा उचित अनुचित से जुड़ी हुई है। आधुनिकीकरण का सम्प्रत्यय वर्तमान में विकसित अवस्था में है। जहाँ इसका प्रयोग सामाजिक, शैक्षणिक, प्रसाशनिक, पुलिस, तकनीक आदि के संदर्भ में किया जाता है। आधुनिकीकरण के विविध नाम है। जो इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिये समय–समय पर विद्वानों ने दिये पश्चिमीकरण नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, शहरीकरण, विकास और प्रगति अनेक अर्थों में इसका प्रयोग होता है।

वास्तव में आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकीकरण के परिणामस्वरूप पश्चिमी देशो में आये परिवर्तनों को समझने तथा परम्परागत समाजों में होने वाले परिवर्तनो के लिए प्रयुक्त होता है। परम्परा के अन्तर्गत निम्न आर्थिक व्यवस्था कृषि प्रधान अर्थ और निर्धनता को सम्मिलित किया जात है। जबकि आधुनिकता में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय, तथा शिक्षा को लिया जाता है। वह बहुपक्षीय प्रक्रिया है। जिसमे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आता है। वैसे भी अगर अर्न्तअनुशासनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाये तो भी समाज के राज्य के या व्यक्ति के जीवन के किसी भी एक भाग में परिवर्तन आता है। तो दूसरा भाग या क्षेत्र भी प्रभावित अवश्य होता है।

2 एम.एन. श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण के तीन क्षेत्र बताये है। जो परस्पर सम्बन्धित है। अर्थात एक क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। 1. भौतिक संस्कृति का क्षेत्र 2. समाजिक संस्थाओं का क्षेत्र 3. ज्ञान मूल्य एवं मनोवृत्तियों का क्षेत्र आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप जहाँ बौद्धिक क्षेत्र में भौतिक एवं सामाजिक घटनाओ की तार्किक व्याख्या तथा कार्य आधार पर उन्हें स्वीकारना है। वही सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि नवीन मूल्यों की स्वीकृति तथा पारिवारिक सम्बन्धो में शिथिलता परिलक्षित होती है। राजनीतिक क्षेत्र में धर्म निरपेक्षता, व्यस्क मताधिकार की प्राप्ति तथा राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण होता है। वही आर्थिक क्षेत्र में नगरीकरण की वृद्धि, औद्योगिकीकरण तथा प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी होती है तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में सास्कृतिक दृष्टिकोण का विकास, जिसमें प्रदत्त स्थान पर अर्जित, पदों का महत्ववर्धन, व्यक्ति के नवीन गुणों का प्रादुर्भाव तथा सामाजिक संरचना

में परिवर्तन, विवाह धर्म, परिवार, व्यवसाय के क्षेत्र के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आग्रह बढ़ जाता है।

एम.एन. श्रीनिवासन इसे सामाजिक परिवर्तन एवं सास्कृतिक गतिशीलता के रूप में देखा है। उनका मत है कि भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवर्तन की अवधारणाएं जिन दो प्रक्रियाओं को संकेत करती है। वो सांस्कृतिक एवं पश्चिमीकरण है। इनमे संस्कृतिकरण भारतीय इतिहास में निरतंर चलती रहती है। और आज भी चल रही है। दसूरी और पश्चिमीकरण उन परिवर्तनों की ओर संकेत है। जिनका भारतीय समाज में समावेश अंग्रेजी राज में हुआ जो कुछ क्षेत्रो में अधिक वेग से स्वाधीन भारत में हो रहे है तथा दोनो ही प्रक्रियाओ में समानताएं दिखाई देती है। क्योंकि दोनों प्रक्रियाओ के परिणाम समाज में परिवर्तन के द्योतक है।

सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है। जिसके द्वारा कोई नीच हिन्दू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः 'द्विज' जाती की दशा में अपने रीति–रिवाज, कर्मकाण्ड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। आम तौर पर ऐसे परिवर्तनो के बाद जाति परम्परा के स्थानीय समाज द्वारा सोपान में जो स्थान उसे मिला है उससे ऊँचे स्थान का दावा करने लगती है। साधारणतः बहुत दिनों तक बल्कि वास्तव में एक दो पीढ़ियो तक दावा किये जान के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। यह संस्कृतिकरण हिन्दू जातियों तक ही सीमित नहीं है। बल्कि जनजाति और अर्द्ध जनजाति समूहों में भी होता है।

किसी पश्चिमी देशों के सम्पर्क या परोक्ष सम्पर्क के कारण किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तनो क`लिये प्रचलित शब्द है। आधुनिकीकरण ''डेनियल लर्सन के अनुसार'' 'आधुनिकीकरण सार्वजनिक संस्थाओं और निजी आकांक्षाओं को स्पर्श करने वाली एक विशोभकारी, प्रत्यक्षवादी भावना' निहित है। पर प्रत्यक्षवादी भावना ही पर्याप्त नहीं हैं। संचार व्यवस्था में क्रांति की आवश्यक है। आधुनिकीकरण की विशेषता बढ़ता हुआ नगरीकरण भी है। जिसके परिणामस्वरूप साक्षरता का प्रसार होता है। साक्षरता केमाध्यम संघात बढ़ता है। और अंत में माध्यमों का बढ़ा हुआ संघात अधिक व्यापक आर्थिक साझेदारी और राजनीतिक साझेदारी (मतदान) से सम्बन्ध है। आधुनिकीकरण से सामाजिक गतिशीलता भी निहित है। गतिशील समाज तर्क बुद्धि को प्रोत्साहन देता है। क्योंकि चुनाव की सम्भावनाएं व्यक्ति व्यवहार को निर्धारित करती हैं और पुरस्कारों को प्रतिबंधित करती है। लोग समाज के भविष्य को निर्धारित की बजाय परिवर्तनीय और अपनी निजी उन्नति को उत्तराधिकार की बजाय उपलब्धियों से जुड़ी मानने लगते है।[3]

अध्ययन का उद्देश्य

आधुनिकीकरण की उपयुर्क्त विवेचना के पश्चात् यह कहना अति आवश्यक प्रतीत हो रहा है। कि इन सब के मूल में जो कारक है वो है परिवर्तन एक सतत् प्रक्रिया है। यह प्रकृति का नियम है जो आज जैसा है वो कल वैसा नहीं रहेगा चाहे वो परिवर्तन सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में हो अवश्य होता है। और किसी एक क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन दूसरे के प्रभावित ना करे ये हो नहीं सकता इन परिवर्तनो के कारणों और प्रक्रियाओ के रूप मे चाहे हम आधुनिकीकरण को ले सकते है। चाहे संस्कृतिकरण और चाहे भूमण्डलीकरण शाब्दिक अर्थ में तीनो पृथक है। लेकिन इनके परिणामस्वरूप आये परिवर्तन को पृथक करना बहुत मुश्किल कार्य होगा प्रस्तुत शोध पत्र में मैं इन तीनो को ही सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ मे देखना चाहूँगी क्योंकि वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप समस्त विश्व एक परिवार की तरह जुड़ा है। तो एक देश की तकनीक, शिक्षा, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, व्यापार, वाणिज्य, मूल्य, खान–पान, सभी दूसरे देश के नागरिको को प्रभावित करती है। कुछ से ग्रहण किया जाता है। और कुछ प्रभावित करती है। लेकिन आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप भी परिवर्तन आता है। और संस्कृतिकरण मे भी परिवर्तन ही होता है। चाहे वो परिवर्तन निम्न से उच्च होने की होड़ के रूप में हो या प्रदत्त से अर्जित के रूप हो या अपने मूल स्वरूप को छोड़कर अन्य जाति, धर्म, वर्ग की प्रयाओ को अपनाने के संदर्भ हो या अपनी परम्पराओं को छोड़ने बाबत् पत्र में मेरा ध्यान सामाजिक परिवर्तन होगा एवं उसके परिणाम स्वरूप जनजातीय महिलाओं के जीवन, स्थिति, प्रस्थिति एवं भूमिका में आये परिवर्तनों पर दृष्टिपात करने का प्रयास ही मेरे इस शोध पत्र का उद्देश्य है।

आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण के बीच गहरा सम्बन्ध है। आधुनिकीकरण को कुछ विद्धानों ने प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। और कुछ विद्धान ने इसे एक प्रतिफल के रूप में स्वीकार किया है। एक प्रक्रिया के रूप में आधुनिकीकरण का अगला चरण वैश्वीकरण है।

एम.एन.श्रीनिवास अपनी पुस्तक (सोशल चेंज इन मार्डन इण्डिया) में ''ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिकीकरण उस प्रकार की सामाजिक आथिर्क एवं राजनैतिक व्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है। जो 17 वीं शताब्दी तक पश्चिमी यूरोप, तथा उत्तरी अमेरिका और 20 वीं शताब्दी तक दक्षिणी अमेरिकी एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में विकसित हुई, सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं। कि आधुनिकीकरण आधुनिक समाज की विशेषताओं से सम्बंध है। अतः आधुनिकीकरण की प्रक्रिया किसी एक ही दिशा या क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को प्रकट नहीं करती वरन यह बहू दिशा वाली जटिल प्रक्रिया है। [4]

आधुनिकतावाद

समाज को एक विशिष्ट दिशा को व्यक्त करने वाली सोच है। जबकि इसे गतिशील बनाये रखने वाली प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहते है।

आधुनिकीकरण

यह एक राजनीतिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक विकास की एक मिली जुली पारस्परिक प्रक्रिया है। जिसके द्वारा ऐतिहासिक तथा समकालीन विकास समाज अपने को विकसित करने मे संलग्न रहते है। जहाँ कही जब भी और जिस किसी संदर्भ में इसकी उत्पत्ति हुई उसकी मूल आत्मा– तार्किकता, वैज्ञानिकता, परिष्कृत से जुडी है। परिवर्तन की एक विशिष्ट प्रक्रिया के रूप में आधुनिकीकरण एक विशिष्ट वाधित प्रकार की तकनीक तथा उससे सम्बन्धित सामाजिक संरचना, मूल्य व्यवस्था, प्रेरणाओ तथा आदर्श

नियमाचारों का एक पुंज है। जो पारम्परिकता से भिन्न होता है।

आधुनिकीकरण से अभिप्रायः व्यक्ति में नवीन सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का विकास एवं नवीन गुणो के अभिग्रहण से है। अर्थात आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में घटनाओं की तार्किक व्याख्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण, औद्योगिकीकरण मे वृद्धि, शिक्षा का प्रसार, प्रचार जड़ शक्ति का प्रयोग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में वृद्धि अर्जित पदों का महत्व, व्यवसायों में विशिष्टता परम्परागत मान्यताओं का ह्रास, प्राचीन प्रविधियों के स्थान पर नवीन प्रविधियों का प्रयोग आदि है। आधुनिकीकरण की अवधारणा के उक्त आशय से स्पष्ट है। कि एक नये विश्ववादी समाज की परिस्थितियों की यह पूर्ण आवश्यकताएं है।[4]

जनजातीय समाज

मूलभूत संरचना एवं सामाजिक परिवर्तन

जैसा सर्व स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। सरल समाजो में इसकी गति धीमी होती है। और जटिल समाजो में इसकी गति तीव्र होती है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और संसार के प्रत्येक समाज मे पाई जाती है। समाज में नित्य नई विचारधाराएँ उत्पन्न होती रहती है। पुरानी रूढ़िया, प्रथाएं, परम्पराएं तथा सामाजिक नियम बदलते रहते है। रीति–रिवाज, फैशन और रहन–सहन के रंग जो आज है। वो कल नहीं रहते तथा व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बंध भी बदलते रहते है। विवाह, परिवार, जाति, धर्म, शिक्षा, राज्य तथा स्त्रियों, पुरूषों के सम्बन्ध भी परिवर्तनशील होते है। में काइवर तथा पेज–का मत है कि एक सामाजिक सम्बन्धो में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ''जबकि डासन और गेटिस सांस्कृतिक परिवर्तनो को ही सामाजिक परिवर्तन मानते है।

जनजातीय समाज का अपना संसार है। देश–विदेश की हलचलों से दूर जंगलो और पहाड़ो पर निवास करने वाली जातियां है। नगरों एवं महानगरों की एवं संस्कृति एक लम्बे समय तक इन्हे स्पर्श नहीं कर पाई हैं। सैंकड़ों जनजातियां देश के पृथक–पृथक भूखण्डो में रहती है।

जनजातीय समाज के स्वयं में कुछ नियम एवं विधान होते हैं। जो अपने सदस्यों के आचार–व्यवहार को नियत्रित करता है। इनकी अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पुरा कथा तथा प्रजाति होती है। तथा उनका एक निश्चित भू भाग होता है। जहाँ ये निवास करते है। प्रायः जनजातीय सूमहों का आकार सीमित तथा इनका तकनीकी ज्ञान अपरिष्कृत होता है। अर्थ व्यवस्था साझीं तथा वस्तुओं के आदान–प्रदान पर निर्भर होती है। नातेदारी सम्बंध प्रवाह होते है। इनकी प्रथक बोली तथा आत्मवादी धर्म का पालन करते है। [5]

परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में नारी (जनजातीय नारी)

इन जनजातीय समाजो में स्त्रियों की स्थिति पर्याप्त भिन्न रही है। भारतीय जनजातियों मे स्त्रियों की स्थिति के बारे मे एक सामान्य निष्कर्ष निकालना मुश्किल कार्य है क्योंकि जिन जनजातीयो मे मातृसत्तामक परिवार पाये जाते है। उनमें महिलाओं की स्थिति पुरूषो की बजाय सशक्त एवं अतिमहत्वपूर्ण होती है। जबकि पितृसत्तात्मक वाले परिवारों में महिलाओं की स्थिति पृथक होती है। (हालांकि सांस्कृतिक सम्पर्क एवं आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप जनजातीय महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन आ गये है। जिनका इनके जीवन को कुछ नकारात्मक तो कुछ सकारात्मक दोनो ही रूपो में प्रभावित किय है।)

अनेको शोध निष्कर्षो, अध्ययनो के साथ साथ 1961 ढेबर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया कि भारत के ग्रामीण तथा अन्य समुदायों की महिलाओं की तरह जनजातीय महिलाओं की स्थिति बद्तर नहीं है। बल्कि जनजातीय समुदायो में महिलाओं का दर्जा एवं रूतबा कही अधिक सम्मानजनक और सशक्त रहा है। उदाहरणतः अधिकांश जनजातीय समाजों में महिलाएं अपना जीवन साथी चुनने और पति के साथ सुखपूर्वक रहने में कठिनाई होने पर तलाक लेने के लिये स्वतंत्र है। विधवा विवाह हमेशा से मान्य रहा है। तथा विधवा स्त्री की स्थिति भी सामान्य स्त्री से पृथक एवं निम्न न होकर समान रही है। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं से यह समाज मुक्त रहा है। बल्कि ''वधू मूल्य'' की प्रथा समाज में स्त्रियों की आर्थिक उपयोगिता व सामाजिक महत्व को रेखाकिंत करती है।

लेकिन आधुनिकीकरण या सामाजिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया ने जनजातीय समाजों में भी हलचल पैदा कर दी है। और पूर्णतः प्राकृतिक वातावरण में सीमित संसाधनों से भी संतुष्टिपूर्ण जीवन यापन करने वाले जनजातीय समाज भी आधुनिकीकरण की दौड़ में शामिल हो रहे हैं।

नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के परिणामस्वरूप जनजातीय समाज में नूतन चेतना को जन्म दिया है। तथा प्रगति करने की प्रेरणा दी है। लेकिन वहीं उनका परम्परागत जीवन बिखर सा गया है। तेजी से बदलते वातावरण के साथ तालमेल बैठाने के लिए जनजातीय समाज झूझ रहे हैं। जहाँ एक तरफ उनके पारम्परिक मूल्य पीछे छूट रहे हैं। वहीं अनेको अन्य समुदायिक मूल्यों ने इन समाजों में प्रवेश कर लिया है। जिसके परिणामस्वरूप (फलस्वरूप) जनजातीय स्त्री की स्थिति, प्रस्थिति एवं भूमिका मे परिवर्तन आना स्वभाविक है।

अधिकतर जनजातीय समाज में स्त्रियों ने पुरूषो के साथ कंधे से कधा मिलाकर कार्य करने की प्राचीन परम्परा को वर्तमान समय तक अस्तित्व में रखा है। आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पादन व्यवस्था के विभिन्न क्षत्रों मे उनका योगदान एवं भागीदारी सराहनीय प्रतीत होती है। जिससे उन्होंने औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में भी बनाये रखने का प्रयास किया है। औद्योगिकीकरण एवं आधुनिकीकरण के युग में कार्यरत आदिवासी स्त्रियों मे भूमिका का दबाव अधिक बढ़ गया है। और प्रस्थिति निम्न हुई है। अपने परम्परागत साधनों में जहाँ पति–पत्नि, हम–सफर, दोस्त–साथी, व सहयोगी की तरह मिलजुल कर कार्य करते थे वहीं अब कहीं न कहीं जनजातीय समाजो में अन्य समुदायों को देखकर

''पति परमेश्वर'' की अवधारणा को ग्रहण कर लिया है। जहां स्त्री ने स्वयं अपनी प्रस्थिति को कमजोर कर लिया है। वो साथी से दासी बनती जा रही है। विशेष बात ये है कि जनजातीय स्त्रियां हमेशा से घर व बाहर कार्य करती रही है। (कृषि, फसल काटना, पशुपालन, लकड़ी एकत्रित करना, चारा लाना, मजदूरी करना) सभी कार्य जनजातीय स्त्रियों द्वारा किये जाते रहे हैं। इन सभी कार्यो में एक आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि सभी कार्य मिलजुल कर सामूहिक रूप से किये जाते है। जिसमे शारीरिक श्रम जरूर लगता है। लेकिन मानसिक तनाव एवं दबाव नहीं रहता। कुछ मीना जनजातीय महिलाओं ने बताया कि जब भी वो चारा (घास) लाने या पशु चराने जाती या फसल काटती हैं सभी हंसी ठिठोली करते हुये या गीत गाते हुई जाती थी, और सभी एक दूसरे को सहयोग करती थी और देर रात साथ बैठकर बाते करती थी। लेकिन आज की (Working Women) शिक्षित एवं नौकरी पेश स्त्री कार्य तो करती है पैसा भी कमाती है। लेकिन फिर भी न शारिरीक रूप से स्वस्थ और न मानसिक रूप से तनाव मुक्त है। ये दोहरी जिम्मेदारी का बोझ एवं आगे बढ़ने की होड़ ने उसे अकेला कर दिया है। न कवेल अपने समाज से बल्कि परिवार (संयुक्त परिवार) से भी दूर हो गई है। इसका प्रभाव न केवल उसके स्वयं शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ पर पड़ा है। बल्कि पति पत्नि के बीच तनाव, मनमुटाव (Ego) अहं बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप परिवार टूट रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार से एकल परिवार बने और अब स्थिति ये है कि एकल परिवार भी बिखराव की स्थिति तक आ जाते है। पति पत्नि साथ रहते हुए भी साथ नहीं है बच्चो के लिये भी समय नहीं है। और एक दूसरे के लिये भी नही है।

इसके अतिरिक्त आदिम समाजों में पर्दा प्रथा का चलन मूल रूप से नहीं है। लेकिन संस्कृतिकरण एवं की प्रक्रिया मे इसका जनजातीय समाजों में उदभव हुआ है। कहीं कहीं तो पर्दा प्रथा आदिवासी स्त्री को दयनीय स्थिति मे लाकर खड़ा कर दिया है। राजस्थान की मीणा एवं डामोर जनजातियों में व्यापक रूप से पर्दा प्रथा का चलन है। और इसी चलन के परिणामस्वरूप एवं शिक्षित महिला को दोहरे रूप में देखा जा सकता है। एक नौकरी पेशा चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो पुलिस प्रशासन या शिक्षण जहां अपने कार्य स्थल पर वह बेझिझक आत्मविश्वास के साथ निर्णय करती है। वो ही महिला घर जाकर, ढाई इंच का घंघूट ओड़ लेती है। वह सामाजिक कार्यो एवं पारिवारिक कार्यो में निर्णय तो दूर की बात उससे सलाह तक नहीं ली जाती है। यहां तक कि घर में सब्जी क्या बनेगी इसका भी अधिकार उसे नहीं है। सबसे पहले जागना और सबसे बाद सोना, घर के कार्य करना, और साथ–साथ बाहर के कार्य भी करना क्योंकि वो पढ़ी लिखी जो है। इन सबके बीच वो स्त्री किस तरह सर्वाइव करती है। समझा जा सकता इस दोहरे चरित्र को निभाते–निभाते स्वतंत्र एवं हसने खेलने वाली नारी कब अवसाद मे चली जाती है पता ही नही चलता क्योंकि एक तरफ उसकी शिक्षा, उसका पद उसकी सफलता उसकी कार्यस्थल पर तारीफ उसके व्यक्तित्व में विकास करते है। वही दूसरी तरफ प्राचीन पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, सामाजिक दायित्व एवं सांस्कृतिक मूल्य एवं परम्परागत रूढ़ियां, परम्पराएं सभी उसे बांधे रखते है। ये तथा एक स्त्री को एक आदर्श बहू, समर्पित पत्नि एवं त्याग की मूर्ति बनाकर उसे कहीं न कहीं प्राचीन जजीरो मे बांधे रखना चाहते है। इस प्राचीन व आधुनिकता के समिश्रण ने आज की शिक्षित नारी को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो समझ नहीं पा रही है कि किधर जाये, क्या करे वह दो किरदारों एवं दोहरी भूमिकाओ के बीच हताशा एवं परेशान नजर आने लगी है। पारिवारिक विघटन, मानसिक अवसाद, शारिरीक थकान भावनात्मक अकेलापन आदि के रूप मे दुष्परिणाम भी सामने आ रहे है।

लेकिन अब सवाल ये उठता है। कि ना ही शिक्षित आदिवासी नारी अपने मूल (परम्परागत) सामाजिक व्यवस्था एवं संरचना को बनाये रख सकती है या उसी मे जीवन यापन करती रहे या आधुनिक युग मे अन्य सवर्ण वर्ग की नारी की तरह आसमान की ऊचाँईयो को छुए व समुद्र की गहराइयों को नापे, अर्थात जमाने के साथ–साथ कदम से कदम मिलाकर चले कि अगरचे उसे आगे बढ़ना है। तो कुछ पीछे छूटेगा ही लेकिन अगर समाज, परिवार, और स्वयं स्त्री सभी मिलकर प्रयास करें या थोड़ा–थोड़ा परिवर्तन अपने साथ में लायें तो बहुत कुछ समस्याओं का समाधान संभव है। इसके लिए अपेक्षित है।

सुझाव

1. किसी भी महिला या पुरूष का प्रथम संसार उसका परिवार होता है। उसी के लिये वो मेहनत करता है। एक महिला भी अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिये एवं खुशी के लिये अनेकों भूमिकाएं निभाती है। वह तन, मन एवं धन से अपने परिवार के लिये समर्पित रहती है। तो यह भी आवश्यक है कि उसका परिवार भी उसे सम्मान दे उसका शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से सहयोग प्रदान करे।
2. कामकाजी महिलाओं को चूंकि घर एवं कार्यस्थल दोनो ही जगह कार्य करना पड़ता है। ऐसे समय मे अन्य सदस्यो द्वारा गृहकार्य मे सहयोग करके उसके कार्यभार से कम किया जाना चाहिये क्योंकि पितृसत्तात्मक सोच वाले पारम्परिक परिवारों मे अक्सर घर के समस्त कार्य घर की महिला और विशेषकर अगर वो बहू है। तो उसके द्वारा ही किये जाना अनिवार्य है। चाहे वो शिक्षित, कामकाजी हो चाहे अषिक्षित लेकिन कामकाजी महिला के इन गृहकार्यो के लिए अतिरिक्त समय चाहिये जो वो सिर्फ अपने स्वयं समय मे से ही दे सकती हैं।
3. किसी भी शिक्षित एवं कामकाजी महिला को समाज की परम्परागत रूढ़ीवादी सोच एवं नियमो एवं दकियानूसी विचारों को अपनाने एवं उनका पालन करने के लिये दबाव न बनाया जाये बल्कि उसके रचनात्मक, वैज्ञानिक, तर्कपूर्ण एवं सकारात्मक विचारों का सम्मान किया जाये उन्हे अपनाया जाये ताकि परिवार एवं समाज मे सुधार संभव हो सके। क्योंकि आज भी आदिवासी समाजो में कुछ विशेष रूढ़िया जैसे – डायन प्रथा किसी महिला का डायन होना, महिला पर भूतप्रेत का साया होना, इलाज के लिये

झाड़फूक करवाना, बीमारियो का इलाज भोपों द्वारा या स्थानीय देवताओं के स्थानों पर करवाना, जैसी अवैज्ञानिक मान्यताएं विद्यमान है।

4. परिवार के निर्णयो में महिला की भागीदारी होनी चाहिये कोई भी निर्णय चाहे वो बच्चों की पढ़ाई, शादी या जमीन जायदाद या कोई अन्य निर्णय सभी में घर की स्त्री से परामर्श करना आवश्यक है। जबकि अधिकांश जनजातीय परिवारों में विशेषकर संयुक्त परिवारों मे सभी निर्णय घर के पुरूष ही कर लेते है। यहाँ तक महिलाओ से सलाह लेना तो दूर उन्हें बताया तक नहीं जाता।[8]
5. अगर महिला (Working) कामकाजी है। तो उसकी (Salary) तनख्वाह पर उसका अधिकार होना चाहिये उसे अपने अनुसार खर्च करना कब कितनी कहाँ खर्च करना है का उसे अधिकार होना चाहिये। जबकि यह देखा गया है कि कामकाजी महिलाओं के ए.टी.एम. कार्ड तक स्वयं के पास नहीं रहते उनकी तनख्वाह कितनी आयी कितनी कहाँ और कब खर्च हो गई इतनी तक जानकारी उनको नहीं होती क्योकि पैसे से सम्बंधित समस्त हिसाब किताब उनके पति ही करते हैं। हालांकि इसके लिये कुछ महिलाएं स्वयं जिम्मेदार होती है। तो कुछ गृह कलेश से मजबूर होती है।
6. घर में इस प्रकार का माहौल होना चाहिये कि घर की स्त्री अपने विचारों को अपनी इच्छाओं एवं अपनी बातो को खुलकर निःसकोच कह सके तथा उसके पश्चात अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके क्योंकि अक्सर महिलाएं अपने विचार एवं इच्छाओं को इस कारण दबा देती हैं कि या तो कोई ध्यान नहीं देगा या कीं पुरूष के विचारों से मेल न खायेगे तो ग्रह में अशांति का माहौल बन जायेगा।
7. प्रत्येक महिला को अपने संविधान, कानून एवं अधिकारो की जानकारी होना आवश्यक है। हांलाकि शिक्षित एवं नौकरी पेशा महिलाऐं अगर ऐसा नहीं करती है। तो वो स्वयं इसकी जिम्मेदार है। क्योंकि बहुत बार अपने अधिकारों की एवं कानून की जानकारी का अभाव भी उसके शोषण का सबसे बड़ा कारण होता है। अनेकों सर्वे इस बात को उजागर करते हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं का न केवल मानसिक, आर्थिक बल्कि, शारीरिक शोषण भी होता है। अतः प्रत्येक महिला को अपने अपने अधिकारों की जानकारी साथ साथ काननू का ज्ञान अति आवश्यक है।[9]

निष्कर्ष

उपरोक्त सर्वे के आधार पर यह स्पष्ट है। कि आज की शिक्षित जनजातीय नारी एक संक्रमण के दौर से गुजर रही क्योंकि ना ही वो पूर्णतः अपनी प्राचीन परम्परागत रूढ़ीवादी जजीरो को तोड़ पाई है। और ना ही पूर्णतः आधुनिकता को अपना पा रही है। परम्परागत एवं आधुनिक दोनों ही स्थितियों में सामंजस्य करते करते वह अपने आप को कई बार मजबूर, असहाय महसूस करने लगती है। लेकिन कहते है कि हर रात की सुबह होती है। जो अपने साथ नई रोशनी, नई उमंगे और नया सबेरा लाती है। इसी प्रकार धीरे–धीरे स्त्री के जीवन में नई रोशनी नई सुबह तो दे दी है। आशा है कि यह परिवर्तन महिलाओं के जीवन मे भी एक सकारात्मक परिवर्तन लायेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शर्मा विरेन्द्र समाजशास्त्र के सिद्धान्त ''पंचशील *प्रकाशन जयपुर 2005 (पृ.सं. 336, 342)*
2. *एम.एन.श्रीनिवासन ''आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन'' राजकमल प्रकाशन पटना दिल्ली (1967) पृ.सं. 21*
3. *एम.एन.श्रीनिवासन ''आधुनिक भारत मे सामाजिक परिवर्तन'' राजकमल प्रकाशन पटना दिल्ली (1967) पृ.सं. 44*
4. *पी. एम. यादव ''वैश्वीकरण एक समाजशास्त्रीय अवधारणा'' पोइटर्स पब्लिशर्स जयपुर (2010) पृ.सं. 83,84*
5. *परशुराम गुप्त ''भारत मे सामाजिक परिवर्तन'' पोइटर पब्लिसर 2006 पृ.सं. 2*
6. *हरिश्चंद्र उत्प्रेती''भारतीय जनजातीयां संरचना एवं विकास'' राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर (2007) पृ सं.1,4*
7. *योगेन्द्र सिंह, ''भारतीय परम्परा का आधुनिकीकरण'' रावत पब्लिकेशन, जयपुर (2014) पृ.सं. 28*
8. *साक्षात्कार (जनजातीय महिलाएं)*
a. *डॉ. सरोज (व्याख्याता)*
b. *वंदना (बैंक क्लर्क)*
c. *सिमरन (बी.ए./ एल.एल.बी)*
d. *विनिता (बी.ए.)*
e. *भारती (अध्यापिका)*
f. *सीमा (अध्यापिका)*
g. *कविता (व्याख्याता)*
h. *डॉ. सोनू (डॉक्टर)*
i. *सुनीता (व्याख्याता)*
j. *डॉ. गुलाब (व्याख्याता)*
k. *कैलाशी देवी*
l. *रूमाली देवी*
m. *संतरा*
n. *चिंता देवी*
o. *माया देवी*